

मालय

म

दमा नं.

उपखण्ड अधिकारी होर २५०-लीनर

अवर लेवर

बनाम

अवर निह

५३०/१५

१३/५/१९

पत्रावली मिलल तलबी के आवेदन पत्र पर पेश हुई। वादिया के द्वारा आवेदन बाबत वाद-पत्र की नोटिस में खारिज करवाने हेतु चार्जना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया अपना वाद-पत्र आगे नहीं चलाता चाहती है। वादिया की पक्षान उनके अधिवक्ता की सागरमल थापल द्वारा की गई। अतः पत्रावली नोटिस में खारिज की जाती है। अतः पत्रावली के तल शुआर होर २५०-लीनर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
नोट नु लेकर

सत्यमेव जयते

Web

Official